1	2	3	4	5
50.	राम्मन चरण-1 3 x 12	पश्चिम बंगाल	9वीं योजना 10वीं योजना	5 वर्ष से ऊपर
51.	पुरूलिया पीएसएस 4 x 225	पश्चिम बंगाल	2002-03 2003-05	2
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र				
52.	कारबी-लांग्पी (लोअर कोरपानी) 2 x 50	असम	1985-86 2001-02 (क्रिटिकल)	3
53.	धनश्री 5 x 3 x 1.33	असम	1988-89 2001-02 (क्रिटिकल)	13
54.	लिकिम-रो 3 x 8	नागालैंड	1993-94 2000-01	7
निजी क्षेत्र				
55.	महेश्वर 10 x 40	मध्य प्रदेश	9वीं योजना 2001-03	1

बिजली उत्पादन में वृद्धि

2430. श्री कपिल सिब्बल:
श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सही है कि वित्तीय वर्ष 1998-99 के दौरान बिजली उत्पादन में वृद्धि का लक्ष्य निर्धारित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो उत्पादन की मात्रा का लक्ष्य क्या था;

(ग) क्या चालू वर्ष के प्रथम 9 माहों में, देश में बिजली उत्पादन में वृद्धि, इस संबंध में नियत लक्ष्य के अनुसार हुई है; और

(घ) यदि हां, तो विद्युत उत्पादन की मात्रा क्या थी?

विद्युत मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री और गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्री (श्री पी.आर. कुमारमंगलम): (क) और (ख) वर्ष 1998-99 के लिए ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य 450 बिलियन यूनिट है।

(ग) और (घ) वर्ष 1998-99 के प्रथम नौ महीनों (अप्रैल-दिसंबर, 1998) के दौरान वास्तविक ऊर्जा उत्पादन 333.64 बिलियन यूनिट के कार्यक्रम की तुलना में 330.1 बिलियन यूनिट था जो कि पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 6.6% अधिक है।

पन-विद्युत परियोजनाओं के लिए प्रस्ताव

2431. श्री राज मोहिन्दर सिंह:
श्री कपिल सिब्बल:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश में हाइडल-इलेक्ट्रिक पावर कार्पोरेशन द्वारा अनेकों बिजली उत्पादन संबंधी परियोजनाओं के निर्माण के लिए विभिन्न प्रस्ताव सरकार के स्वीकृति हेतु भेजे गए हैं;

(ख) यदि हां, तो दिसंबर, 1998 तक कुल कितने प्रस्ताव सरकार को मिले हैं और इन परियोजनाओं की उत्पादन क्षमता तथा निर्माण लागत क्या-क्या है; और

(ग) इन परियोजनाओं के निर्माण हेतु स्वीकृति देने के संबंध में विलम्ब के क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री और गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्री (श्री पी.आर. कुमारमंगलम): (क) और (ख) जी, हां। सरकार द्वारा प्राप्त परियोजनाओं का उनकी

क्षमता तथा निर्माण लागत समेत ब्यौरा निम्नवत है:-

क्र.सं.	परियोजना	क्षमता	अद्यतन लागत करोड़ रुपये में (मूल्य स्तर)	अभ्युक्ति
1.	चमेरा चरण-2	300	1684.02 (अगस्त, 98)	निवेश संबंधी निर्णय लिए जाने के प्रक्रियाधीन है।
2.	लोकतक डी/एस	90	558.83 (अगस्त, 98)	लोक निवेश बोर्ड के अनुमोदन हेतु प्रक्रियारत है।
3.	तीस्ता चरण-5	510	2015.07 (अगस्त, 97)	-वही-
4.	पार्वती चरण-2	800	2317.96 (नवंबर, 98)	तकनीकी आर्थिक स्वीकृति प्रदान करने के लिए 23.3.99 को बैठक आयोजित की जानी है।

(ग) लागू नहीं होता।

Increasing Loss in SEBs

2432. SHRI JANARDHANA POOJARY: Will the Minister of POWER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that State Electricity Boards (SEBs) in the country are incurring Rs. 6000 crore loss every year;

(b) if so, what are the main causes of the losses due to (i) theft of electricity, (ii) by transmission loss and (iii) by low tariff; per year, separately;

(c) whether Government propose to take/ have taken measures to reduce such losses; if so, the details of such steps; and

(d) the outcome thereof?

THE MINISTER OF POWER MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES (SHRI P.R. KUMARAMANGALAM): (a) A statement indicating the surplus/deficit of the 16 SEBs after taking into account subsidy booked and without subsidy for the year 1997-98 is enclosed. (*See below*) It may be seen from the statement that while the SEBs were suffering loss of Rs. 7665.45 crores if subsidy is not taken into account, the SEBs were in surplus of Rs. 598.68 crores if subsidy is taken into account.

(b) The main reasons of the losses of the SEBs, inter-alia, include, the widening gap between the average cost of supply and realisation, especially with regard to the agricultural and domestic sectors; high transmission & distributions losses; delay as well as inadequate revision of tariff; non-payment of rural electrification subsidy in cash by most of the State Governments; non-realisation of the dues by SEBs for sale of power; low levels of capacity utilisation of existing plants etc.

(c) and (d) The Central Government have enacted the Electricity Regulatory Commissions Act, 1998 which, inter-alia, provides for constitution of SERCs by the State Governments. The Act also provides for giving subsidy to the SEBs by the State Government concerned in the manner to be determined by the concerned SERCs. The State Governments were also advised to take steps to corporatise and commercialise generating companies, transmission companies and distribution companies so that they are able to operate on commercial principles. Further, the Central Government is giving an additional interest subsidy of 1% (above subsidy of 4%) on the loans extended by Power Finance Corporation during 1998-99 for the projects covered under the Accelerated Generation and Supply Programme for those SEBs/State Governments who set up SERCs by 31st March, 1999. Some of the State Governments have already constituted the SERCs while the others are taking necessary steps in this direction.